प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

यह प्रतिवेदन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं सपठित राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) का परंतुक यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2011, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार को ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं, के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से संबंधित है ।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो 2020-21 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ-साथ वे भी जो विगत वर्षों में जानकारी में आए किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं बताए जा सके । जहां आवश्यक है, वहां 2020-21 के बाद के मामले भी सम्मिलित किए गए हैं ।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2017) के अनुसार की गई है ।